बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड
Bihar State Power (Holding) Company Limited
बिहार सरकार का उपक्रम (A Govt. of Bihar Undertaking)
सामान्य प्रशासन विभाग (Department of General Administration)
GST Number : 10AAFCB2394, CIN Number : U40102BR012SGC018495

विभागीय परीक्षा–2019

सामान्य निदेश

1) प्रवेश पत्र पर वांछित सूचना भर कर (जहाँ आवश्यक हो) एवं अद्यतन फोटो पर अपने नियंत्री पदाधिकारी से अभिप्रमाणित कराकर लाना आवश्यक है। वांछित प्रवेश–पत्र के अभाव में किसी भी परिस्थिति में परीक्षा में सम्मिलित होने नहीं दिया जायेगा।
2) परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने से 15 मिनट पहले आकर अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। प्रवेश समय के समाप्त होने के पश्चात परीक्षा–केन्द्र में पहुँचने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा–केन्द्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा समाप्ति के पूर्व किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
3) परीक्षार्थी अपना नाम/क्रमांक/विभागीय परीक्षा का नाम एवं मांगी जाने वाली अन्य जानकारी उत्तर पुस्तिका के उचित स्थान पर स्पष्ट अंकित करेंगे। किसी तरह का चिन्ह/सूचक उत्तर पुस्तिका में दर्ज करने पर अयोग्य किये जायेंगे।
4) **परीक्षा के लिए केवल काला/ब्लू बॉल पेन का प्रयोग करें। पेंसिल अथवा किसी अन्य रंग के पेन का इस्तेमाल करने पर आपके उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।**
5) दिये गये प्रश्न में किसी में किसी भी प्रकार के उलझन (Confusion) होने की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त प्रश्न मान्य होंगे।
6) किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यथा मोबाईल, पेजर, इलेक्ट्रॉनिक चीप, केलकूलेटर, डिजीटल केलकूलेटर, डिजीटल घड़ी, ब्लूटूथ आदि का प्रयोग नहीं किया जाना है। परीक्षा के दौरान यदि इस प्रकार का उपकरण अभ्यर्थी के पास से पाया जाता है, तो उसे जब्त कर परीक्षार्थी को परीक्षा से निष्कासित किया जायेगा।
7) परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका एवं प्रश्न पत्र पर दिये गये सभी निर्देश का अक्षरशः पालन करेंगे।
8) परीक्षा हॉल में शांति बनाये रखेंगे। परीक्षा हॉल में नकल करते हुए पकड़े जाने पर परीक्षा से निष्कासित किया जा सकता है एवं नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।
9) सभी परीक्षा कक्षों की सतत् विडियो निगरानी की जायेगी।
10) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी अन्य अभ्यर्थी से बात–चीत न करें अथवा अनुचित साधनों का प्रयोग न करें अन्यथा उन्हें परीक्षा से वंचित किया जायेगा।
11) अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता पूर्णतः अन्तरिम (Provisional) है। अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि स्वयं यह सुनिश्चित कर लें, कि वे पात्रता की समस्त शर्तो को पूरा करते है। यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करता है एवं परीक्षा में सम्मिलित हो जाता है तब भी उसकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा।
12) अभ्यर्थियों को केवल प्रवेश–पत्र में दिए गए विनिर्दिष्ट परीक्षा–केन्द्र में ही परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा केन्द्र का परिवर्त्तन का अनुरोध मान्य नहीं होगा।
13) अभ्यर्थी परीक्षा पदाधिकारियों (केन्द्र पर्ववेक्षक/निरीक्षक इत्यादि) द्वारा दिए गए सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन करेगें।